रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-73

16 NOV

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 1980/भाद्र 25, 1902

No. 285] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 1980/BHADRA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1980

अधिसूचना

सा. का. नि. 537(अ).—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 133 की उपधारा (1) में यथापेक्षित मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए नीचे लिखे नियमों का प्रारूप जिन्हें भारत सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 85-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार लाती है तब अब मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 27) की धारा 8 लागू होने के बाद यह संशोधित हो जाएगा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के बीत जाने पर या इसके बाद उक्त समौदे पर विचार किया जाएगा। पैंतालिस दिनों की अवधि से पहले उक्त नियमों के मसौदे के बारे में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : इन नियमों का नाम मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या जिस तारीख को मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 27) और मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम, 1980 प्रवृत्त होंगे, इनमें से जो भी बाद में हो, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम 1980 के नियम 3 का संशोधन।**

मोटर गाड़ी (संरक्षी शिरास्त्राण) नियम, 1980 में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाए, अर्थात् :—

"3. **कुछ मामलों में अपवाद** :मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 85 क के उपबंध महिलाओं, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 35 सी. सी. या एक एच पी तक के प्राइम-मूवर वाले मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।"

[फा. सं. टी. डब्लू/टी जी एम (54)/78]

यशवंत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1980

G.S.R. 537(E).—The following draft rules to amend the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980, which the Central Government proposes to make in exercise of the

powers conferred by Section 85A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), as it will stand amended after section 8 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1977, (27 of 1977), comes into force, is hereby published as required by sub-section (1) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of pubication of this notification in the Official Gazette. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the said period of 45 days, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Motor Vehicles (Protective Headgears) (Amendment) Rules, 1980.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette or on the date of which section 8 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1977 (27 of 1977) and the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980 come into force, whichever is later.

2. Amendment of rule 3 of the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980.

In the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980 for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3 Exception in certain cases : The provisions of section 85A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall not apply to women, children below the age of twelve years and riders of motor cycle having a prime mover not exceeding thirty five cc. or one HP."

[F. No. TW-TGM(54)/78]

YASHWANT SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980